प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –232 / 2023

अनवान : –

1. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपुतपुरा तहसील नोहर।
2. कानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–– **वादीया**

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. सन्तोष कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. विमला कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 157 / 156 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 158 / 157 की कुल 4.8810 हैक भूमि में संयुक्त रूप से 2351 / 4881 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 वाद भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 जो की वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 वाद भूमि पर काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 158/157 की कुल 4.8810 हैक भूमि में संयुक्त रूप से 2351/4881 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 157/156 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में वादी स0 1 को 0.7590 हैक्ट भूमि का एवं शेष 6.690 हैक्ट भूमि का का वादी स0 2 एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं खाता स0 158/157 की कुल 4.8810 हैक भूमि में संयुक्त रूप से 2351/4881 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी स0 1 को

उपखण्डाधिकारी (रामदर्श)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:35 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –232 / 2023

अनवान : –

1. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपुतपुरा तहसील नोहर।
2. कानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–– **वादीया**

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. सन्तोष कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. विमला कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 232 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 157 / 156 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में वादी स0 1 को 0.7590 हैक्ट भूमि का एवं शेष 6.690 हैक्ट भूमि का का वादी स0 2 एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं खाता स0 158 / 157 की कुल 4.8810 हैक भूमि में संयुक्त रूप से 2351 / 4881 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नामदर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:35 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................